2018/00122

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण जी चौहान
जाति चौहान
निवासी गोकुलवाडी शिवगंज तहसील शिवगंज
जिला सिरोही

सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार शिवगंज

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 79 वर्ष 2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.12.2018	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलाट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 24.9.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि निलामी ईश्तिहार क्रमांक 1213–19 दिनांक 22.04.2004 भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 5 बीघा की निलामी संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की से संबधित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 बीपीएल होने से जमा नही कराये गये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 16.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया दिनांक 24.9.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि निलामी ईश्तिहार क्रमांक 1213–19 दिनांक 22.04.2004 भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 5 बीघा की निलामी संबंधी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner